झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय :– केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 24054.92 लाख (दो सौ चालीस करोड़ चौवन लाख बानबे हजार) रु॰ की लागत पर स्वीकृत आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

4190
05/07/17

नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में आदित्यपुर सिवरेज प्रबंधन परियोजना का सूत्रण किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 24054.92 लाख (दो सौ चालीस करोड़ चौवन लाख बानबे हजार) रु॰ है, यह योजना शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत की गई है। तैयार किए गए DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है, तत्पश्चात् अमृत योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा उक्त योजना के दिशा–निदेश के आलोक में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. वर्तमान में आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) 1,74,355 है, जिससे लगभग 27 MLD सिवरेज का उत्सर्जन होता है। वर्ष 2047 तक आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 4,52,402 हो जाने की संभावना है, जिससे अनुमानतः 50 MLD सिवरेज का उत्सर्जन होगा। इस आधार पर परियोजना हेतु 50 MLD क्षमता के Sewerage Treatment Plant (STP) का अधिष्ठापन किया जायेगा।

3. सिवरेज प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत घरों से उत्सर्जित होने वाले सिवरेज को संग्रह करने हेतु सिवरेज नेटवर्क का अधिष्ठापन किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना में लगभग 135 कि॰मी॰ सिवरेज नेटवर्क पाईप लाईन बिछाई जाएगी। यह सिवरेज नेटवर्क प्रस्तावित Sewerage Treatment Plant (STP) से जुड़ा होगा, जहाँ संग्रहित सिवरेज को वैज्ञानिक विधि से पुनःचक्रण (Recycle) कर उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणो में क्रियान्वित किया जा सकेगा :–

3.1 **Treatment :** प्रस्तावित परियोजना हेतु कार्य क्षेत्र को चार प्रक्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इन चारो प्रक्षेत्रों में अलग–अलग क्षमता के STP का अधिष्ठापन किया जायेगा, जिनकी कुल क्षमता 50 MLD होगी। संग्रहित सिवरेज को इन STP में Sequential Batch Reactor (SBR) तकनीक का उपयोग कर Treatment किया जायेगा। भौगोलिक रूप से असमान भू–स्तर वाले स्थानों से सिवरेज के संग्रहण हेतु 5 अदद् Intermediate Sewerage Pumping Station (ISPS) का अधिष्ठापन किया जायेगा।

3.2 **Disposal :** Treated Waste Water को विभिन्न कार्यों यथा– बागवानी, वाहन धुलाई, निर्माण कार्य इत्यादि में पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा। Sewerage Treatment के उपरांत बचे हुए ठोस पदार्थ को Compost के रूप में कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

4. उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित STP एवं ISPS निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड आदित्यपुर नगर निगम के पास उपलब्ध है।

5. अमृत योजना के दिशा–निर्देशिका की कंडिका–5 के उपकंडिका–5.1 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख–रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय–सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के लिए Standard Bid Document (5 वर्षों का रख–रखाव सन्निहित कर) तैयार किया गया है।

6. परियोजना हेतु तैयार किए गए DPR में निम्नलिखित अवयव हैः—

Sr. No.	PARTICULARS	AMOUNT (Rs. in Lakhs)
1	PART--"A"	
	Sewer and Appurtenance Works including pipe supports for Drain Crossing, Trenchless Excavation	11875.28
2	PART--"B"	
	Intermediate Pumping Stations (ISPS) - Civil Works. Including Wet well, Building, Chamber Compound Development	326.89
3	PART--"C"	
	Intermediate Pumping Stations (ISPS) - Electrical and Mechanical Works (including SCADA)	541.47
4	PART--"D"	
	Provision for 4 NOs of STP comprising STP-1 (4 MLD); STP-2 (20 MLD); STP3 (10 MLD) and STP4(2 MLD) inlcuding Terminal Pumping Stations (4 Nos) for Phase-I i.e. Year 2032; (including TPS, SCADA, I & C, etc)	5892.44
	STP-1 (2 MLD), STP-2 (8 MLD); STP3 (4 MLD) and STP4(1 MLD) Provision for 04 Nos. of STPs of overall capacity of MLD for Phase II i.e. Year 2047; (including TPS, SCADA, I & C, etc)	
5	PART--"E"	
	Construction of Staff Quarter for STPs.	50.43
6	PART--"F"	
	Construction of Boundary wall and Main Gates for ISPS and STPs	217.18
7	PART--"G"	
	Construction of Rising Main for ISPSs	136.16
8	PART--"H"	
	Low Cost Sanitation Cost	58.52
	Sub-Total (A to H)	**19098.37**
9	Labour Cess @ 1%	190.98
10	PART--"I"	
	Cost for ESAMP (Environmental & Social Assessment With Management Plan) for Construction Phase (detailed Break-up is presented in DPR) as per World Bank guidelines	18.94
11	Preparation of DPR and PMC Charges	29.21
12	Cost for Public Outreach Activities @0.5% of O&M Cost	20.43
13	Project Management and Supervision Charges for JUIDCO as per Finance notification 3201 by Govt. of Jharkhand	610.98
	Sub total	**19968.92**
14	PART--"J"	
	Five Years Operation & Maintenance Cost	4086.00
	Grand Total (in Lakhs)	**24054.92**

7. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना की लागत राशि (CAPEX) रु० 19968.92 लाख (एक सौ निन्यानबे करोड़ अड़सठ लाख बानबे हजार) है एवं रख–रखाव की राशि (OPEX) रु० 4086.00 लाख (चालीस करोड़ छियालीस लाख) है। अमृत योजना के दिशा–निर्देशिका की कंडिका–5 के उपकंडिका–5.1 के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के लागत राशि (CAPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा :—

(Amount in Lakhs)

Name of Project	Approved Project Cost (CAPEX)	Central Share	State Share	ULB Share	
				14th F.C.	Others
Adityapur Sewerage Management Project	19968.92	9984.46	5990.68	3195.02	798.76

8. परियोजना की लागत राशि (CAPEX) का 50% केन्द्रांश, 30% राज्यांश तथा शेष निकाय अंश के रूप मे देय होगा। अमृत योजना अंतर्गत स्वीकृत किए गए State Annual Action Plan (SAAP) के अनुसार निकाय अंश का 80%, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के राज्यांश अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा।

9. उपर्युक्त परियोजना के रख–रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन राज्य योजना अंतर्गत 'सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजना के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद' से किया जायेगा। *(मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–12–सिवरेज एवं ड्रेनेज निर्माण योजना के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहाय्य अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान)*

10. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है। योजना–सह–वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। अतः उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।

11. आदित्यपुर नगर निगम से प्राप्त अनुरोध के आलोक में परियोजना के पूंजीगत व्यय (CAPEX) से संबंधित कार्य का क्रियान्वयन जुडको लि॰ द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् जुडको लि॰ द्वारा परियोजना आदित्यपुर नगर निगम को हस्तांतरित कर दी जाएगी। रख–रखाव व्यय (OPEX) से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन आदित्यपुर नगर निगम के स्तर से किया जायेगा।

12. परियोजना के रख–रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय–सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

- क) रख–रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
- ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।
- ग) रख–रखाव अवधि के दौरान सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित उपभोग शुल्क (User Charges) का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।
- घ) संवेदक को रख–रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

13. क्रमांक–6 में अंकित DPR की कुल राशि रु॰ 24054.92 लाख (दो सौ चालीस करोड़ चौवन लाख बेरानबे हजार) की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त है।

14. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2017 में मद संख्या 6 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

3.7.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Adityapur Sewerage-42/2017 4190 रॉंची, दिनांक– 05/07/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.7.17
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– SUDA/AMRUT/Adityapur Sewerage-42/2017 4190 रॉंची, दिनांक– 05/07/17

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा/उपायुक्त, सराईकेला/कार्यपालक पदाधिकारी, आदियत्पुर नगर निगम/महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना), जुडको लि॰/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.7.17
सरकार के प्रधान सचिव।